राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त/कर/2025 जयपुर दिनांक: 29-05-2025

—: परिपत्र :—

विषयः— सम्पत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में **Black Money, Parallel Financial Transactions** तथा आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि के नकद लेनदेन पर प्रभावी रोक लगाने के संबंध में।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 6580/2024 ओमप्रकाश बनाम राज्य तथा अन्य 28 याचिकाओं में दिनांक 21.05.2025 को पारित आदेश के क्रम में समस्त लोक कार्यालयों/लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पदीय कर्तव्यों का निवर्हन में उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्कों की वसूली एवं अन्य विधिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु आपस में समन्वय स्थापित कर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, भारतीय संविदा अधिनियम, 1882 तथा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5200/2025 The Correspondence, RBANMS Educational Institution v. B. Gunashekar में दिनांक 16.04.2025 को पारित निर्णय में निर्देश दिए हैं कि यदि किसी संव्यवहार में नकद लेनदेन के लिए आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि से अधिक राशि के नकद लेनदेन का तथ्य उप—रजिस्ट्रार के संज्ञान में आता है तो ऐसे उप—रजिस्ट्रार द्वारा इस तथ्य को अविलम्ब आयकर विभाग के संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा। यदि उप—रजिस्ट्रार ऐसे तथ्यों को सूचित करने में असफल रहता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतः सभी उप—रजिस्ट्रारों को निर्देशित किया जाता है कि वे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित निर्देशों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल के आदेश से,

(कुमार पाल गौतम)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान सरकार।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
7. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग।
8. श्री संदीप तनेजा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
9. समस्त उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)